



Neutral Citation Number- 2026:AHC:31920

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या - 5703/2026

अरविंद सिंह और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: मुन्ना तिवारी, संदीप कुमार सिंह

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्याय कक्ष संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), गोरखपुर मंडल, गोरखपुर द्वारा पुनरीक्षण संख्या-259/283/M2008 (सुरेंद्र सिंह बनाम श्याम बिहारी) में दिनांक 04.04.2013 को पारित आदेश के माध्यम से, इस मामले को प्रत्यर्थी संख्या-3/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील सदर, जिला महाराजगंज के समक्ष वापस भेज दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि दस वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, परंतु आज तक प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. इस मामले को देखते हुए, प्रस्तुत याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या-3/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील-सदर, जिला-महाराजगंज, वाद संख्या-9/83/04 का निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुसार करें; परंतु ऐसा संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही किया जाए, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

12 फरवरी, 2026

सकलैन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”